The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-4, January 2023
www.theresearchdialogue.com

भारतीय लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग एवं चुनाव सुधार की समीक्षा

डॉ. शैलेश कुमार

सहायक आचार्य
राजनीति शास्त्र विभाग
श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा

सारांश

भारत विश्व का विशालतम् लोकतांत्रिक देश है। शासन की सुचारू व्यवस्था के लिए संसदीय प्रणाली को कार्यान्वित किया गया। इस व्यवस्था में शासन का संचालन करने वाले प्रतिनिधियों का चयन निर्वाचन के आधार पर होता है। यह सर्वविदित ही है कि किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आधार चुनाव होते हैं और यदि चुनाव प्रणाली दोषपूर्ण हो गयी तो प्रजातंत्र ही अस्तित्वहीन है। विश्व की सबसे बड़े संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में चुनाव सम्पन्न कराने जैसे जटील कार्य की जिम्मेदारी चुनाव आयोग नामक संवैधानिक संस्था के माध्यमसे किया जाना एक कठीन कार्य है। यह कार्य समयसाध्य था, श्रमसाध्य है, परन्तु इसकी अपरिहार्यता टाली नहीं जा सकती। विगत कुछ दशकों से सम्पूर्ण भारत में भ्रष्टाचार एवं अत्याचार का आतंक—सा छा गया है और इसका स्पष्ट प्रभाव चुनाव प्रक्रिया पर भी पड़ा चुनाव आयोग अपनी भूमिका के माध्यम से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति कृत संकल्प है तथापि भारत जैसे भौगोलिक एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि एवं जनसंख्या के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी सहभागिता वाली राजनीतिक व्यवस्था में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव अभी लम्बी अवधि तक असंभव बन गया है।

बीज शब्द :- लोकतंत्र, निर्वाचन आयोग, चुनाव सुधार, मतदान व्यवहार आदि ।

आजकल चुनाव जाति एवं धर्म के आधार पर लड़े एवं जीते जाते हैं इससे राजनीतिक व्यवस्था के स्वास्थ्य पर कैसा कुप्रभाव पड़ रहा है और इसमें कितनी और गिरावट आने वाली है, इसकी चिन्ता किसी को नहीं है। हमारे यहाँ निर्वाचन प्रणाली में जो सबसे खामी दृटिगोचर होती है वह है प्रत्याशियों के लिए किसी निश्चित अर्हता का निर्धारण नहीं करना। चुनाव आयोग इसकी महत्ता पर जोर दे रहा है लेकिन भ्रष्टाचार के गर्त में गोता लगाने वाली विधायिका इसका विरोध कर रही है। इस प्रकार भारत में चुनाव आयोग की भूमिका निःसन्देह व्यापक है। भले ही राजनीतिक दलों एवं सत्तारूढ़ दल इसकी भूमिका को तानाशाही, पक्षपातपूर्ण जैसे आरोप लगाने से बाज नहीं आते, फिर भी भारतीय जनता में इस स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के प्रति विश्वसनियता बरकरार है। भारत में संसदीय लोकतंत्र जीवित है इसका पूरा श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से जो कदम उठाए हैं उनमें फोटों पहचान पत्र की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

चुनाव आयोग ने बोहरा समिति (1996) के प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर अपनी भूमिका को प्रभावकारी बनाने हेतु राजनीति के अपराधीकरण एवं अपराध के राजनीतिकरण के ऊपर अंकुश लगाने हेतु सकारात्मक पहल किया है। अपराध के राजनीतिकरण से हमारी लोकतांत्रिक संरचना विखरी हुई सी दिखने लगी है। आम जनता दहशत से मतदान करने नहीं जा सकते और कभी-कभी अपराधियों द्वारा दी गयी धमकियों से वे मतदान प्रक्रिया में अपनी सहभागिता भी नहीं निभा पाते है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यह भ्रामक धारणा सर्वविदित है कि भारतीय आम जनता अशिक्षा, जातिगत द्वेष, धर्मान्धता, गरीबी, भाषावाद, साम्प्रदायिकता के शिकार है, फलतः मताधिकार का प्रयोग औचित्य अथवा विवेक के साथ नहीं कर सकती। लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका से प्रथम आम चुनाव से लेकर जब तक भारतीय जनता का जो मतदान व्यवहार रहा है उससे इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि उपरोक्त भ्रामक मत केवल उन्हीं लोगों का है जो भारतीय जनता के मानसिक स्तर से परिचित नहीं है, जिन्हें भारतीय जनता के चरित्र एवं चिन्तन का बोध नहीं है। अभी तक के चुनाव ऑकड़ों के अनुसार भारतीय मतदाताओं ने मतदान में जिस विवेक एवं कुशलता का परिचय दिया है वह कुछ अपवादों को छोड़कर सराहनीय रही है। भारतीय मतदाताओं की इस अनुशासन प्रियता और मतदान में बढ़ती सहभागिता का प्रतिशत से भारतीय संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ हुई है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का सफल संचालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारितहै। "वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है, क्योंकि एक निश्चित समय अन्तराल के उपरान्त जनता अपने लोकप्रिय मत द्वारा शासकों के माध्यम से सत्ता में अपनी सहभागिता का निर्वाह करती है और निर्वाचक शक्ति के माध्यम से उत्तरदायित्व का निर्धारण करती है।"

संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा आम जनता में जो आस्था व्यक्त की थी, उसपर मतदाता प्रायः खरे उतरे हैं। धन के दूषित प्रयोग बढ़ती हिंसा, अत्यधिक खर्चीचे चुनाव मतदान केन्द्रों पर कब्जा, चुनावों में उम्मीदवारों का अधिक्य, स्वतंत्र एवं

निष्पक्ष चुनाव कराने वाली सरकारी मशीनरी के निष्पक्षता पर संदेह, राजनीतिक दलों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन, सत्तारूढ़ दलों द्वारा चुनाव मशीनरी का दुरूपयोग तथा महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से चुनावी प्रक्रिया दूषित हो चुकी है। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में लोगों की बढ़ती उदासीनता को रोकने तथा चुनाव को सार्थक बनाने के लिए चुनावों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

चुनाव आयोग की सभी अनुशंसाओं में चुनाव सुधार के प्रस्ताव शामिल रहे हैं। वास्तव में प्रथम आम चुनाव के बाद चुनाव सुधार की आवश्यकता वाद-विवाद का विषय रहा है। फलस्वरूप चुनाव प्रसार समय है। की माँग है। भारत में निर्वाचन सुधारों के सन्दर्भ में सभी पहलूओं का अध्ययन करना सामयिक और प्रासंगिक है।

चुनाव सुधार हेतु बहुत सारे प्रयास होते रहे हैं। पहली बार चुनाव कानून में संशोधन एवं चुनाव सुधार के सभी क्षेत्रों से जुड़े प्रश्नों का परीक्षण हेतु एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1970 में किया गया किन्तु दिसम्बर 1970 में लोकसभा के विघटन के साथ ही इस समिति का अन्त हो गया। 1971 में जब नई लोक सभा और नई सरकार अस्तित्व में आयी तो जुलाई 1971 में श्री जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में एक 21 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात् इस समिति ने चुनाव सुधार के मुद्दे पर कई वर्षों के अथक प्रयास के पश्चात् संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। दो प्रतियों में प्रस्तुत सुझाव में बहुत बहुमूल्य सुझाव थे।

1974 में जय प्रकाश नरायण ने 'सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी' नामक संगठन की ओर से चुनाव सुधार पर अध्ययन हेतु महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश और प्रसिद्ध रेडिकल ह्यूमनिस्ट श्री वी०एम० तारकुण्डे के अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के सदस्य इस प्रकार थे- वी०एम० तारकुण्डे, एम०आर० मयानी, पी०जी० मावलंकर, ए०जे० नुरानी आर०सी० देसाई और ए०पी० डब्ल्यू डेक्सट थे। समिति ने अपनी अनुशंसा 9 फरवरी 1975 को प्रस्तुत किया जो इस प्रकार -

1.मताधिकार 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष की आयु में ही दे दिया जाए।

2.आय के स्रोतों का उल्लेख तथा आम व्यय का पूरा हिसाब लिखना समस्त राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए और निर्वाचन आयोग इसकी जॉच कराये। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च के हिसाब की जॉच करायी जाए। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों पर किया जाने वाला खर्च उम्मींदवारों के हिसाब में जोड़ा जाय तथा चुनाव खर्च की वर्तमान सीमा को दुगुना कर दिया जाये।

3. जमानत की रकम लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए 500 सौ से बढ़ाकर 2,000 रूपये और विधान सभाओं के उम्मींदवारों के लिए 200 से बढ़ाकर 1,000 रूपये कर दी जाए।

4.प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार की ओर से छपे हुए मतदान कार्ड निःशुल्क दिये जाये तथा प्रत्येक मतदाता के नाम का कार्ड बिना टिकट लगाये डाक से भेजने की छूट दी जाए। इसके अलावा प्रत्येक उम्मींदवारको छूट हो कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता के

नाम 50 ग्राम तक प्रचार सामग्री डाक से निःशुल्क भेज सके। निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूचियों की 12 प्रतियाँ प्रत्येक उम्मींदवार को सरकार की ओर से निःशुल्क दी जाए।

5- जो लोग राजनीतिक दलों को वर्ष में 1,000 रूपये दान दे, उन्हें राशि पर आयकर की छूट दी जाय तथा कम्पनियों पर यह प्रतिबन्ध जारी रखा जाए कि वे राजनीतिक दलों को दान नहीं दे सकती। कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों के रूप में राजनीतिक दल को दी जाने वाली सहायता पर भी पाबन्दी लगायी जाय।

6- लोकसभा अथवा विधान सभा के विघटन अथवा नये चुनावों की घोषण के बाद से सरकार कामचलाऊ सरकार की भाँति कार्य करें। वह न नयी नीतियों का घोषणा करे, न उसे लागू करे, न नयी परियोजनाएँ चालू करें, उन उसका वादा करें, नयी ऋण या भत्ते दे, न वेतन वृद्धि की घोषणा करें तथा ऐसे सरकारी समारोह न आयोजित करें जिनमें राज्यमंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव भाग लें।

चुनाव प्रक्रिया में सुधार हेतु तारकुण्डे समिति के , दिनेश गोस्वामी समिति, टी०एन० शेषन की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी है इसमें लगभग यही सहमति पायी जाती है कि यदि चुनाव में धन का दूषित प्रभाव बढ़ती हिंसा, अत्यधिक खर्चीले चुनाव, निर्दलयों की बढ़ती संख्या, जाली मतदान की घटनाएं, स्वतंत्रत एवं निष्पक्ष चुनाव कराने वाली वांधित चुनाव मशीनरी की ही निष्पक्षता पर सन्देह, केन्द्रों पर कब्जा चुनाव में जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा भाषावाद का सहारा लेने, सत्तारूढ़ दलों द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने जैसी प्रवृतियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी और चुनाव सुधार नहीं किए गए तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने प्रश्नचिन्ह लग जाएगी। आज भारत जैसे विशाल देश में चुनाव सुधार एक जटिल मुद्दा है। जिसमें जनता और न्यायापालिका लगभग एकमत है किन्तु भ्रष्टाचार के गर्त में गोता लगाते अधिकांश राजनीतिज्ञों की पकड़ वाली विधायिका इसके प्रतिकूल अपना अलग मत रखती है।

विगत वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर निर्णय लेते हुए यह व्यवस्था की थी कि लोकसभा, राज्य विधान सभा, विधान परिषद् का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदार अपनी अपराधिक पृष्ठभूमि अपनी तथा अपनी पत्नी के नाम का सम्पत्ति और आय के स्रोतों और शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा रिटर्निंग अधिकारी को दे। इस व्यवस्था से राजनीतिज्ञों में खलबली मच गयी और 20 मई 2002 को चुनाव सुधार कानून बनाकर मात्र यह व्यवस्था की गयी कि उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि चुनाव सम्बन्धी कानूनी खामियों, प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तन के सुझावों घोषित चुनावी अपराधों व उनके लिए विहित विभिन्न दण्डों, प्रशासनिक व व्यावहारिक कठिनाइयों व दोषों तथा मानव मन की अन्तर्निहित सूक्ष्म जटिलताओं पर सम्यक् विचार करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ज्यों-ज्यों अपराधों व दोषों को रोकने हेतु विधेयात्मक तथा निषेधात्मक प्रयोग किये गये वैसे-वैसे ही अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपराधी तत्वों ने उन्हें उलांघ कर नए-नए रास्ते अपनाएं लिये और मानव व्यवहार के अन्य क्षेत्रों की भांति हमारा चुनाव तंत्र भी क्रमशः अधिकाधिक दूषित व कलुषित होता गया। इसमें जहां चुनाव लड़ने वाले अपराधी किस्म के माफिया प्रत्याशियों ने भुजबल के आधार पर चुनाव केन्द्रों पर कब्जा करने व मतपेटियों को उठाकर ले जाने तथा व्यापक पैमाने पर मतदान करने जैसी ओछी हरकतों को अपनाया और ऐसे

अपराधों में चुनाव-प्रति- चुनाव तथा राज्य - प्रति राज्य बढ़ोतरी होती गई और इनका संख्यात्मक व गुणात्मक विस्तार होता गया है, वहां कमजोर पड़ती गई राजनीतिक इच्छा शक्ति ने भी चिंगारी को जड़ से उखाड़ देने के स्थान पर उसे मात्र राख से ढक देने भर का काम किया जिससे वह अन्दर ही अन्दर सुलगती रही। दुर्भाग्य से यह वह क्षेत्र हैं जहां अन्य अपराधों के विपरीत कहीं-कहीं शासन के कर्णधार भी उतने ही दोषभाजन पाये गये जितने प्रत्याशी या राजनीतिक दल, और जहां शासन ही अपराध का भागीदार हो वहां अपराध को रोकने की कल्पना करना भी आकाश कुसुमवत हैं "

निष्कर्ष :

जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए चुनाव अपरिहार्य है यदि ये विकृतिपूर्ण व दोषपूर्ण होंगे तो पवित्र और उज्ज्वल लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि जल्द से जल्द चुनाव प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए तभी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की गरिमा बरकरार रह सकती है। भारतीय चुनाव आयोग ऐसे में एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्वच्छ स्वतंत्र और निष्पक्ष सम्पन्न कराकर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त, पारदशी, लोकप्रिय एवं सफल बनाने में अपनी भूमिका का परिचय जिस प्रकार दिया है इससे चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा एवं कार्य प्रणाली में गुणोत्तर वृद्धि के साथ-साथ भारतीय लोकतंत्र का भी भविष्य उज्ज्वल हुआ है।

संदर्भ :

- गोपाल कृष्ण: 'इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन एंड पॉलीटिकल इंटीग्रेशन' रजनी कोठारी कांसेप्ट ऑफ इलेक्शन चेंज इन इंडिया, 1996 नई दिल्ली अकैडमी बुक्स, 1969।
- रवि राय, इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स, नीड ऑफ द आवर पॉलिटिक्स इंडिया वा० 4 अक्टूबर 1998.।
- डॉ. रेड्डी एंड सुंदर राम, डेमोक्रेसी एंड इंडियन इलेक्ट्रोल सिस्टम, नीड फॉर रिफार्म, उप्पल पब्लिकेशन नई दिल्ली 1992.।
- 1974 में गठित तरकुंडे समिति की अनुशंसाए.।
- एस० एल० शंखधर, ' इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, जोनल ऑफ कंस्टीटूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज जनवरी 1984।
- 1990 में गठित दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें.।
- अंजना के. भगत, ' इलेक्शन एंड इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स इन इंडिया, नई दिल्ली, विकास पब्लिकेशन हाउस 1996।
- इंद्रजीत गुप्त समिति रिपोर्ट 1999।
- सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय, दि हिंदू 13 जनवरी 2005।

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-4, January 2023
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number-January-2023/02

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ. शैलेश कुमार

For publication of research paper title

भारतीय लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग एवं चुनाव सुधार की समीक्षा

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-01, Issue-04, Month January, Year-2023.

Dr.Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr.Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com